संख्याः नि0 2409/3–2 (इमारती लकड़ी कोयला)

प्रेषक,

जीवन चन्द्र जोशी,
वित्त नियंत्रक,
वन विभाग, उत्तराखण्ड।

वेबसाइट www.forest.uk.gov.in/
फोन/फैक्स:-0135-2741607,2742641
ई-मेल:-ccfpfmua@gmail.com

सेवा में,

समस्त सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/
वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

देहरादून दिनांक, 21 जून, 2017।

विषय– वित्तीय वर्ष 2017–18 में वन विभाग के अनुदान संख्या–27 की राज्य सैक्टर योजना "2406–01–105–03–00–इमारती लकड़ी,कोयला तथा अन्य अभिकरणों द्वारा निकाली गयी वन उपज" हेतु कोषागार मदों में बजट का आवंटन।

संदर्भ– शासनादेश सं0 919/X-2-2017-12(46)/2012 दि0 12 जून, 2017 (छायाप्रति संलग्न)।

महोदय,

सन्दर्भित शासनादेश एवं उसके साथ संलग्न अलॉटमेंट आई डी–S1706270051 दिनांक 08.06.2017 से वित्तीय वर्ष 2017–18 में वन विभाग के अनुदान संख्या–27 की राज्य सैक्टर योजना ""2406–01–105–03–00–इमारती लकड़ी,कोयला तथा अन्य अभिकरणों द्वारा निकाली गयी वन उपज" हेतु कोषागार मदों में अवमुक्त धनराशि ₹20,00,000/– (₹बीस लाख मात्र) का ऑन लाइन आवंटन विभाग के विभिन्न आहरण वितरण अधिकारियों को निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों सहित जारी करते हुये प्रिन्ट आउट की हस्ताक्षरित प्रति संलग्न कर प्रेषित की जाती है। कृपया सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी से कोषागार मदों में प्राप्त बिलों का नियमानुसार भुगतान करने का कष्ट करें।

1– आवंटित की जा रही धनराशि से सर्वप्रथम उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा उत्तराखण्ड शासन, वन एवं पर्यावरण अनुभाग–3 के शासनादेश संख्या–1578/X-3-14-08(27)/2010 दिनांक 23.12.2014 के क्रम में वृक्षों के छपान हेतु अग्रिम के रूप उपलब्ध करायी गयी धनराशि को तत्काल वापस किया जाये।

2– धनराशि का व्यय वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–312/3(150)/XXVII(1) दिनांक 31.03.2017 में दिये गये दिशा–निर्देशों एवं प्रतिबन्धों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाये।

3– अवमुक्त की जा रही धनराशि से मात्र योजना से सम्बन्धित कार्य ही कराया जाना सुनिश्चित करें यदि योजना से इतर कार्यो को कराया जाना पाया गया तो सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

4– कार्यो को कराये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि सम्बन्धित कार्य अन्य विभागीय योजनाओं में पूर्व से स्वीकृत/कराया न हो।

5– आवंटित धनराशि का उपयोग वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 (लेखा नियम) भाग–1 एवं खण्ड–7 (वन लेखा नियम), आयं–व्ययक सम्बन्धी नियम ((बजट मैनुअल) तथा संदर्भित शासनादेश, शासनादेश संख्या 177/XXXVII(7)/2008 दिनांक 01 मई 2008, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमैंट) नियमावली 2008, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमैंट) (संशोधन) नियमावली 2015 तथा समय–समय पर जारी संगत शासनादेशों में उल्लिखित शर्तों/प्रतिबंधों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 हेतु सक्षम स्तर से निर्धारित/अनुमोदित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु किया जाये।

6– धनराशि का आहरण एवं व्यय मासिक आधार पर किश्तों में वास्तविक व्यय आवश्यकता के अनुरूप ही किया जायेगा एवं अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक धनराशि कदापि व्यय नहीं की जायेगी और न अधिक व्ययभार सृजित किया जायेगा।

7– बजट प्राविधान किसी भी लेखाशीर्षक/मद के अर्न्तगत व्यय की अधिकतम सीमा को ही प्राधिकृत करता है। अतः बजट प्राविधान से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और नही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित किया जाय।

8– निर्माण कार्य हेतु अनुमोदित दर अनुसूची (SOR) आधार पर गठित आगणन का सक्षम/प्राधिकृत स्तर से परीक्षण एवं तदोपरान्त वित्तीय/प्रशासनिक और तकनीकी/प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त कर ही आहरण एवं व्यय किया जायेगा।

9– निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृतियों से कराये जाने वाले कार्यो की सूचना सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जन सेवा विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश, संख्या 638/XXX-1-12(25)2011 दिनांक 08 दिसम्बर, 2011 द्वारा अपेक्षित राज्य सरकार की वेबसाइट www.ua.nic.in तथा विभाग की वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से प्रकाशित की जायेगी और उन्हें समय–समय पर अध्यावधिक किया जायेगा।

10– अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष मासिक व्यय का विवरण निर्धारित प्रपत्र बी.एम.–4 में कार्यालयवार भरकर बिलम्बतम प्रत्येक माह की पहली तारीख तक अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून को भेजा जायेगा।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(जीवन चन्द्र जोशी)
वित्त नियंत्रक

क्रमशः–2.....

संख्याः नि0 2409 (1)/3–2 (इमारती लकड़ी कोयला) तद्‌दिनांकित।

प्रतिलिपि संलग्नक सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, माजरा,देहरादून।

2– महालेखाकार(आडिट), उत्तराखण्ड, वैभव पैलेस, सी–1/105, इन्दिरानगर, देहरादून।

3– सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

4– अपर सचिव, वित्त अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

5– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, 23–लक्ष्मी रोड, देहरादून।

6– प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून।

7– मुख्य वन संरक्षक, कुमॉऊ, गढ़वाल एवं शिवालिक जौन।

8– समस्त सम्बन्धित वन संरक्षक/निदेशक, उत्तराखण्ड।

9– समस्त सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी। कृपया **सदंर्भित शासनादेश** व उक्त **पैरा– 1 से 10** में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अवमुक्त धनराशि से सर्वप्रथम उत्तराखण्ड वन विकास निगम देहरादून द्वारा छपान कार्य हेतु अग्रिम के रूप उपलब्ध करायी गयी धनराशि को प्राथमिकता के आधार पर वापस करना सुनिश्चित किया जाये।

10– उप वन संरक्षक, आइ0टी0सैल कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त जारी धनराशि को विभागीय वेबसाइट में अपलोड करने का कष्ट करें।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार

(जीवन चन्द्र जोशी)
वित्त नियंत्रक

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20172018

Principal Chief Conservator of Forest (4260)

आवंटन पत्र संख्या - **Ni-2409/3-2** | अलोटमेंट आई डी - **H1706271045**

अनुदान संख्या - **027** | आवंटन पत्र दिनांक -21-Jun-2017

DDO Name - DFO Almora Forest DivisionAlmora (4257) , Treasury - Almora (3700)

1: **लेखा शीर्षक** 2406 - वानिकी तथा वन्य जीवन | 01 - वानिकी

105 - वन उत्पाद

03 - इमारती लकड़ी कोयला तथा अन्य अभिकरणों द्वारा निकाली गई वन उपज

00 - इमारती लकड़ी कोयला तथा अन्य अभिकरणों द्वारा निकाली गई वन उपज

Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
42 - अन्य व्यय	0	150000	150000
	0	**150000**	**150000**

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes - 150000

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20172018

Principal Chief Conservator of Forest (4260)

आवंटन पत्र संख्या - Ni-2409/3-2 | **अलोटमेंट आई डी - H1706271046**

अनुदान संख्या - 027 | **आवंटन पत्र दिनांक -21-Jun-2017**

DDO Name - DFO Chakarata Forest DivisionChakarata (4258) , Treasury - Chakarata (0101)

1: **लेखा शीर्षक** 2406 - वानिकी तथा वन्य जीवन | 01 - वानिकी

105 - वन उत्पाद

03 - इमारती लकड़ी कोयला तथा अन्य अभिकरणों द्वारा निकाली गई वन उपज

00 - इमारती लकड़ी कोयला तथा अन्य अभिकरणों द्वारा निकाली गई वन उपज

Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
42 - अन्य व्यय	0	200000	200000
	0	**200000**	**200000**

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes - 200000

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20172018

Principal Chief Conservator of Forest (4260)

आवंटन पत्र संख्या - **Ni-2409/3-2** अलोटमेंट आई डी - **H1706271043**

अनुदान संख्या - **027** आवंटन पत्र दिनांक -21-Jun-2017

DDO Name - DFO Haldwani Forest DivisionHaldwani (4258) , Treasury - Haldwani (0700)

1: **लेखा शीर्षक** 2406 - वानिकी तथा वन्य जीवन 01 - वानिकी

105 - वन उत्पाद

03 - इमारती लकड़ी कोयला तथा अन्य अभिकरणों द्वारा निकाली गई वन उपज

00 - इमारती लकड़ी कोयला तथा अन्य अभिकरणों द्वारा निकाली गई वन उपज

Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
42 - अन्य व्यय	0	353000	353000
	0	**353000**	**353000**

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes - 353000

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20172018

Principal Chief Conservator of Forest (4260)

आवंटन पत्र संख्या - **Ni-2409/3-2** अलोटमेंट आई डी - **H1706271044**

अनुदान संख्या - **027** आवंटन पत्र दिनांक -21-Jun-2017

DDO Name - DFO Ramnagar Forest DivisionRamnagar (4260) , Treasury - Ramnagar (3617)

1: **लेखा शीर्षक** 2406 - वानिकी तथा वन्य जीवन 01 - वानिकी

105 - वन उत्पाद

03 - इमारती लकड़ी कोयला तथा अन्य अभिकरणों द्वारा निकाली गई वन उपज

00 - इमारती लकड़ी कोयला तथा अन्य अभिकरणों द्वारा निकाली गई वन उपज

Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
42 - अन्य व्यय	0	1000000	1000000
	0	**1000000**	**1000000**

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes - 1000000

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20172018

Principal Chief Conservator of Forest (4260)

आवंटन पत्र संख्या - **Ni-2409/3-2** अलोटमेंट आई डी - **H1706271047**

अनुदान संख्या - **027** आवंटन पत्र दिनांक -21-Jun-2017

DDO Name - DFO Soil Conservation Division KalsiKalsi (4258) , Treasury - Vikasnagar (0105)

1: **लेखा शीर्षक** 2406 - वानिकी तथा वन्य जीवन 01 - वानिकी

105 - वन उत्पाद

03 - इमारती लकड़ी कोयला तथा अन्य अभिकरणों द्वारा निकाली गई वन उपज

00 - इमारती लकड़ी कोयला तथा अन्य अभिकरणों द्वारा निकाली गई वन उपज

Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
42 - अन्य व्यय	0	128000	128000
	0	**128000**	**128000**

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes - 128000

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20172018

Principal Chief Conservator of Forest (4260)

आवंटन पत्र संख्या - **Ni-2409/3-2** अलोटमेंट आई डी - **H1706271048**

अनुदान संख्या - **027** आवंटन पत्र दिनांक -21-Jun-2017

DDO Name - DFO Uttarhashi Forest DivisionUttarkashi (4256) , Treasury - Uttarkashi (4100)

1: **लेखा शीर्षक** 2406 - वानिकी तथा वन्य जीवन 01 - वानिकी

105 - वन उत्पाद

03 - इमारती लकड़ी कोयला तथा अन्य अभिकरणों द्वारा निकाली गई वन उपज

00 - इमारती लकड़ी कोयला तथा अन्य अभिकरणों द्वारा निकाली गई वन उपज

Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
42 - अन्य व्यय	0	169000	169000
	0	**169000**	**169000**

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes - 169000